रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 1975/आषाढ़ 18, 1897
No. 135] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 1975/ASADHA 18, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th July 1975

SUBJECT.—*Export against Commodity Credit of Rs. 100 million (1974) and Emergency Relief Credit of Rs. 100 million extended by the Government of India to Government of Bangla Desh.*

No. 39-ETC(PN)/75.—Attention is invited to the following Public Notices issued by the Ministry of Commerce on the above subject:

(i) No. 46-ETC(PN)/74 dated the 28th December, 1974 as subsequently amended by Public Notice Nos. 7-ETC(PN)/75 dated the 7th March, 1975 and 28-ETC(PN)/75 dated the 2nd July, 1975; and

(ii) No. 42-ETC(PN)/74 dated the 6th December, 1974.

2. It has been decided that the exports made to Bangla Desh under the provisions of the aforesaid Public Notices will qualify for the benefits available to the exporters under the import policy for Registered Exporters. Paragraph 8 of Public Notices No. 46-ETC(PN)/74 dated 26th December, 1974 and No. 42 ETC(PN)/74 dated 6th December, 1974 may be deemed to have been amended accordingly.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1975

विषय.—भारत सरकार द्वारा बांगला देश की सरकार को बढ़ाये गये दस करोड़ रुपये (1974) के पण्यवस्तु क्रैडिट और दस करोड़ रुपये के आपात कालीन सहायता क्रैडिट के मद्दे निर्यात ।

सं० 30-ई० टी० सी० (पी० एन०)/75.— उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई निम्नलिखित सार्वजनिक सूचनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है :—

1. सार्वजनिक सूचना संख्या 7-ई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 7 मार्च, 1975 और 28-ई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 2 जुलाई, 1975 द्वारा बाद में यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 46-ई०टी०सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 26 दिसम्बर, 1974; और
2. सार्वजनिक सूचना संख्या 42-ई० टी० सी० (पी० एन०)/74 दिनांक 6 दिसम्बर, 1974 ।

2. यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत बांगलादेश को किये गये निर्यात पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातों के लिए उपलब्ध लाभों के लिए अर्हक होंगे । सार्वजनिक सूचना संख्या 46-ई०टी०सी (पी० एन०)/74, दिनांक 26-12-74 और सार्वजनिक सूचना 42-ई०टी०सी० (पी०एन०)/74 दिनांक 6 दिसम्बर, 1974 की कंडिका आठ को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975